216

Action Taken Report on behalf of Chief Secretary, Government of Uttarakhand (Respondent No.1)

In matter of

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi Versus State of Uttarakhand

I. Background

1) That vide order dated 25.07.23 this Hon'ble Tribunal was pleased to direct as under:

"...

18. Accordingly, we direct the Secretary, Environment, Uttarakhand to re-examine the matter and to take appropriate action. We further direct the Secretary, Environment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the Collector and Municipal Commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/ river body and to ensure the compliances of the environmental act. Public property cannot be made subject of encroachment. Further Action Taken Report be filed within four weeks

..."

2) That in compliance of the directions of the Hon'ble Tribunal, a meeting was convened on 24.08.2023 under the Chairmanship of Principal Secretary, Government of Uttarakhand. In this connection, copy of the minutes of the

meeting held on 24.08.2023 is being marked and filed as **Annexure 1** to this report.

3) In the said meeting, following thorough discussions, it was concluded that since there is an issue of repugnancy between the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 and the notification issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, a legal opinion should be sought from the Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR.

4) That on 06.03.2024, a meeting was convened under the Chairmanship of Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR in which officers of all the concerned departments were present and certain queries were raised. Subsequently, the queries have been answered and the matter was again sent along with the clarifications to the Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR for his opinion. In this connection, copy of letter dated 05.03.2024 sent by the Additional Secretary to all concerned departments is being marked and filed as **Annexure 2** to this report.

5) That in response to the aforementioned query, on 18.04.24 Principal Secretary, Law/Legal Advisor cum LR opined that there is repugnancy in both the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 and the notification issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

6) That consequently, since the Law Department has advised that there is repugnancy, it is now clear that a substantial question of law has arisen in which there is a contradiction and repugnancy between two laws. However, since the notification under the Environment Protection Act and the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 are legislations under different domains dealing with distinct subjects, therefore, the question as to which of the two repugnant laws would be applicable to the State of Uttarakhand cannot be determined by the answering respondent/Respondent No. 1 and the same has to be decided by the Court/Tribunal.

7) Further, the above noted O.A. was again listed for hearing on 01.04.24 , wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

"...

11. The Registry is directed to send a copy of this order to respondents no. 1 (State of Uttarakhand), 2 (Principal Secretary, Urban Department, State of Uttarakhand) and 5 (District Magistrate, Dehradun) requiring them to deposit costs as directed above and to file their compliance report at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date of hearing hereby fixed.

..."

Illegal Encroachment after 11.03.2016

8) That since the cutoff date as per the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 was 11.03.2016, the Urban Development Department /Respondent No. 2 has issued necessary directions to the concerned District Administration, Dehradun (Respondent No. 5) and Urban Local Body (Respondent No.4) to take necessary action under the provision of the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 within one week. In this connection, copy of letter dated 24.04.24 is being marked and filed as **Annexure No. 3** to this report.

****

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव
वन एवं पर्यावरण
उत्तराखण्ड शासन

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागची बनाम् भारत संघ व अन्य के संबंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24 अगस्त, 2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः–</u>

उपस्थितिः–

1. श्री धनंजय मोहन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
2. श्री आर॰के॰मिश्र, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
3. श्री धर्म सिंह मीणा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनय भार्गव, वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड।
5. श्री राजीव धीमान, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. श्री मनुज गोयल, मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री नितीशमणी त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8. श्री वैभव कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
9. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री रामजी एस॰शर्मा, अपर जिलाधिकारी, देहरादून।
11. श्री अशोक पाण्डे, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
12. श्री अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। अपर सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागची बनाम् भारत संघ व अन्य वादी द्वारा जनपद–देहरादून के रिस्पना नदी के सूखे तल पर अनाधिकृत रूप से झुग्गियाँ बनाने और अनुपचारित घरेलू सीवेज, डेयरी अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट को नदी में छोड़ने के सम्बन्ध में दायर किया गया है।

2 – प्रश्नगत प्रकरण में मा0 हरित प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन हेतु बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ गहन विचार–विमर्शोपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

(1) मा॰हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या–16 के क्रम में जल संसाधन, नदी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 एवं उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 में टकराव/विरोधाभाष होने के दृष्टिगत प्रकरण

nerated from eOffice by BABITA, RO-BABITA, REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Change Department on 02/05/2024 11:38 AM

पर न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर लिया जाय।

(कार्यवाही–शहरी विकास विभाग/पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन)

(2) प्रश्नगत प्रकरण में यथाशीघ्र मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत कर ली जाय। सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोडल) द्वारा संबंधित विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए, सूचना प्राप्त कर, एक सूक्ष्म पी॰पी॰टी॰ तैयार कर मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया जाय। उक्त बैठक में पेयजल विभाग को आमंत्रित किया जाय।

(कार्यवाही–MS,UKPCB)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये प्रदत्त निर्देशों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यावाही के साथ बैठक का समापन किया गया।

Signed by Dharm Singh Meena
Date: 30-08-2023 18:03:48

(धर्म सिंह मीणा)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– /XXXVIII–1–2023
देहरादूनः दिनांकः– अगस्त, 2023

<u>संख्या एवं दिनांक–तदैव।</u>
<u>प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. सचिव, सिंचाई विभाग/शहरी विकास विभाग/पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

Signed by Ashutosh Shukla
Date: 30-08-2023 18:17:43

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।

enerated from eOffice by BABITA, RO-BABITA, REVIEW OFFICER, Environment Conservation and Climate Change Department on 02/05/2024 11:38 AM

प्रेषक,

आशुतोष शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **अपर सचिव,** शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. **अपर सचिव,** सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. **जिलाधिकारी,** देहरादून।
4. **सदस्य सचिव,** उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. **मुख्य अभियन्ता,** सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. **निदेशक,** शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

पर्या॰संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनु॰ देहरादूनः दिनांकः 05 मार्च, 2024

विषयः— मा॰राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—417/2022 निरंजन बागची बनाम् भारत संघ व अन्य के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—109/XXXVI-A-1/2024-336/2023, दिनांक 01.03.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या—417/2022 में मा॰प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या—16 के क्रम में जल संसाधन, नदी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 एवं उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 में टकराव/विरोधाभाष होने के दृष्टिगत विचार—विमर्श किये जाने हेतु **प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 06.03.2024 को अपराह्न 03:30 बजे बैठक आहूत** की गई है।

2— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार प्रस्तावित बैठक में संगत सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Ashutosh Shukla
Date: 05-03-2024 11:41:21
(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।
प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव—प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

2. निजी सचिव–प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रमुख सचिव महोदय द्वारा पूर्व में प्रदत्त निर्देश के क्रम में प्रस्तावित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

224

संख्या–82448/IV(2)-श0वि0–22–12(रिट)/22

प्रेषक,

अनिल काला,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2022

विषय :एन0जी0टी0 में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्टाफ अफसर–मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक सलाहकार (न्यायिक) (एन0जी0टी0) (पी0बी0) नई दिल्ली के ई0मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 23.11.2022 द्वारा एन0जी0टी0 के योजित वाद ओ0ए0 संख्या–417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रगति आख्या से मा0 न्यायालय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2 उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करत हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के अनुपालन में सभी प्रतिवादियों से कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त करते हुए शासन की और से प्रतिशपथ–पत्र तैयार करवाते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समयबद्ध रूप में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। प्रश्नगत याचिका में यदि अधिवक्ता भी नामित किया जाना हो तो परिपक्व प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Signed by Anil Kala
Date: 09-12-2022 17:57:55

(अनिल काला)
अनु सचिव।

प्रतिलिपि–1 जिलाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को इस आशय से प्रेषित की कृत कार्यवाही की आख्या निदेशालय शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

Scanned with ACE Scanner

संख्या– 149030 / IV(2)-श0वि0–2023

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम– देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 24 अगस्त, 2023

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित पिटीशन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री राहुल वर्मा, अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का मय संलग्नकों के सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित पिटीशन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आख्या समयबद्व रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा हो, तो उसके विषय में भी अवगत कराने कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय
Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 24-08-2023 12:05:01
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Scanned with ACE Scanner

(3.)

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्या–195604 /IV(2)श0वि0–2024/कोर्ट–केस 12(रिट)/22,
देहरादूनः दिनांक 04, ~~फरवरी~~ मार्च, 2024

संयुक्त सचिव,
विधि एवं न्याय,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया अपने पत्र संख्याः 33, दिनांक 13.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्याः 416, दिनांक 16.02. सन्दर्भ देते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्याः 15, 16 एवं 17 पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 25.07.2023 के उपरोक्त प्रस्तरों पर शहरी विकास विभाग की आख्या निम्नानुसार हैः–

प्रस्तर–15– उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 की धारा 4 की उपधारा– (1) में निम्नानुसार प्राविधान हैः–

1. - इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दिनांक से 03 वर्ष के भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास करेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सके।
2. - उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों के अतिरिक्त जोकि उपधारा (1) में वर्णित है, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी।
3. - उपधारा (1) में संदर्भित अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही इस अधिनियम के लागू होने की दिनांक से आगामी 03 वर्ष के लिए स्थगित रहेगी एवं इस अवधि में इन प्रकरणों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नही की जा सकेगी।

इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा– 5 में निम्नवत् प्राविधान है–

1. - दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् प्रारम्भ और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण कार्य।
2. - सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण जो कि धारा 4 की उपधारा (1) से आच्छादित न हो।

4

Scanned with ACE Scanner

3. - सार्वजनिक सड़क मार्गों/पैदल मार्गों/फुटपाथ एवं गलियों व पटरियों पर किये गये अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण/विकास।

3– इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 2 की उपधारा– (1) एवं (3) के अनुसार निकाय क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 से 03 वर्ष अर्थात् 15 अक्टूबर, 2021 तक स्थगित रहेगी।

उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम को वर्ष 2021 में संशोधित किया गया तथा 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021' पारित किया गया, जिसके द्वारा वर्ष 2018 के अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करते हुए 03 वर्ष के स्थान पर 06 वर्ष किया गया, अर्थात् अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 से 06 वर्ष अर्थात् 15 अक्टूबर, 2024 तक स्थगित रहेगी।

4– चूंकि मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) का प्राविधान यह स्पष्ट करता है कि दिनांक 11.03.2018 के पश्चात् प्रारम्भ और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण कार्यों को धारा 4 के प्रावधानों के अधीन छूट प्राप्त नही होगी तथा धारा 4 की उपधारा (2) का प्राविधान यह स्पष्ट करता है कि धारा 4 की उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणें के अतिरिक्त जो कि उपधारा (1) में वर्णित हैं, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी,

अतः निरंजन बागची बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 25.07.2023 एवं जल संसाधन, नदी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016, अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण कार्यो के ऐसे मामलों में प्रभावी हैं, जहॉ निर्माण कार्य दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् हुए हों।

दिनांक 11.03.2016 से पूर्व के अनधिकृत निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 की धारा 4 की उपधारा–(1) एवं (2) ऐसे मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपडियों को किसी न्यायालय के आदेशों या निर्णय से छूट प्रदान करते हैं, जिनकी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे, अर्थात् सरकार द्वारा उसे मलिन बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया हो।

प्रस्तर– 16– उपरोक्त प्रस्तर–15 के अनुसार।
प्रस्तर–17– उपरोक्त प्रस्तर–15 के अनुसार।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 04-03-2024 16:11:56

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Scanned with ACE Scanner

संख्या–745 /IV(2)-श0वि0–2024/12 विस–7/2

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
देहरादून।

2. नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 24 अप्रैल, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2023 को सुनवाई करते हुए आदेश पारित किये हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 25.07.2023 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

" We further direct the Secretary, Enviornment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the Collector and Municipal Commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/river body and to ensure the compliances of the environment act. Public property cannot be made subject of encroachment. Further Action Taken Report be filed within four weeks. "

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 25.07.2023 के उक्त क्रियात्मक अंश पर उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 के संगत प्रावधानों के आलोक में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से 01 सप्ताह के भीतर शासन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांग 25.07.2023 का अनुपालन ससमय किया जा सके। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 13.05.2024 नियत है।

भवदीय

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–745 /IV(2)-श0वि0–2024– तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

Scanned with ACE Scanner

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री नीरज, मा0 अधिवक्ता, चैम्बर नं0 160, लॉयर्स चैम्बर्स, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली।

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with ACE Scanner